न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 03 / 2025 दायर दिनांकः— 15.04.20225

GCMS No. 2025/11

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. दिलीप पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी आगर तहसील शाहबाद जिला— बारां राज.।
2. नरेश पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी आगर तहसील शाहबाद जिला— बारां राज.।

— अपीलान्टगण

बनाम

1. नवलों पत्नी भोंदू जाति सहरिया निवासी बमदगवां तहसील शाहबाद जिला—बारां राज.।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला—बारां राज.।

— रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :—

1. श्री अरविन्द शर्मा, कुवेर यादव— अभिभाषक अपीलान्टगण।
2. एक्स पार्टी — अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2025 प्र० सं० 18 / 2024 न्यायालय तहसीलदार शाहबाद अन्तर्गत धारा 183 बी, आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 13.02.2026

अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद के निर्णय दिनांक 17.02.2025 प्रकरण संख्या 18 / 2024 उनवान नवलों बनाम दिलीप बगैरह अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फिस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए। रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध, द्वेषतापूर्ण, मनमाना होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई विधिवत सूचना नहीं दी गई, सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तहसीलदार शाहबाद द्वारा हल्का पटवारी की अस्पष्ट रिपोर्ट बिना साक्ष्य लिये उक्त आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है जिसकी वर्षों पूर्व सीमाज्ञान कर सीमाऐं भी सुनिश्चित की जा सकी है को जबरन अवैध रूप से रेस्पोरेण्टकम 1 के खाते की भूमि बता कर हल्का पटवारी की अस्पष्ट मिथ्या रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलान्ट को अपनी जमीन से बेदखल कर फसल को हडपने का षडयन्त्र किया गया है। उक्त जमीन पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद द्वारा प्रकरण संख्या 06 / 24 रविकान्त बनाम नवलों में स्थगन आदेश जारी कर रखा है तथा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद कमांक / राजस्व / 2025 / 217 दिनांक 28.03.2025 प्रकरण संख्या 06 / 24 रविकान्त बनाम नवलों